विज्ञप्ति

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं०-14/एडमिन (डी) सेक्शन, दिनॉकित 15 अक्टूबर, 2022 के अनुपालन में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बागपत द्वारा दीवानी न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति किये जाने के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है। समिति की बैठक आज दिनॉक **21/12/2022** को आहूत की गयी, जिसमें प्रत्येक ग्रेड पे व वेतनमान में रिक्त पदों की संख्या के संदर्भ में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी की आख्यानुसार तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं।

समिति की एक बैठक पूर्व में दिनॉक 07/12/2022 को हुई थी और आशुलिपिक/स्टेनो के 03 पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भर्ती हेतु समिति ने अनुशंसा की थी।

मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र सं० 14/एडमिन (डी) सेक्शन, दिनॉकित 15/10/2022 के अनुपालन में जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों में से **Substantive** पदों के सापेक्ष मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद को अवगत कराने के उपरान्त पुनर्नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी -

1- उक्त जनपद न्यायालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी की आयु 65 वर्ष पूर्ण न हुई हो।

2- पुनर्नियुक्ति एक बार में **01** वर्ष के लिए, **65** वर्ष की आयु पूरी करने तक अथवा सीधी भर्ती या प्रोन्नति द्वारा पद भरे जाने तक के लिए होगी।

3- उक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी जिसको पुनर्नियुक्ति प्रदान की जायेगी ,को अंतिम आहरित वेतन जिसमें से पेंशन की राशि घटाई जायेगी , के सिद्धांतों के आधार पर वेतन की धनराशि देय होगी।

4- सम्बन्धित कर्मचारी का पूर्व रिकार्ड और उसकी वार्षिक चरित्र पंजिका को ध्यान में रखते हुए उसे नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में यदि कोई जनपद न्यायालय का सेवानिवृत्त आशुलिपिक/स्टेनो के रिक्त 03 पदों पर उपरोक्त निर्देश के अनुसार पुनर्नियुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक है तो वह **15 दिन** के भीतर जनपद न्यायालय के प्रशासनिक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाए तथा एक प्रति मा० उच्च न्यायालय को Official Website पर प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाए।

दिनॉकः 21/12/2022,

(शैलेन्द्र पाण्डेय)
अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
बागपत।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- ग्राम न्यायालय बड़ौत को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने न्यायालय परिसर में नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा देंगे।

2- सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सेक्शन, दीवानी न्यायालय, बागपत को इस आशय से प्रेषित कि वह न्यायालय के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।

3- मुख्य प्रशासनिक अधिकारी दीवानी न्यायालय से सेवानिवृत्त स्टेनो/आशुलिपिक जिनकी आयु 65 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, को दूरभाष से अवगत कराये।

दिनॉकः 21/12/2022,

21/12

(शैलेन्द्र पाण्डेय)
अध्यक्ष,
सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति समिति/
प्रथम अपर जिला जज,
बागपत।